



भारतीय सर्वेक्षण विभाग  
SURVEY OF INDIA



फैक्स व दूरभाष - 0761-2643182  
Fax & Telephone - 0761-2643182

ई-मेल / e-mail: zone.central.soi@gov.in



अपर महासर्वेक्षक कार्यालय  
OFFICE OF THE ADDL. S.G.  
मध्य क्षेत्र Central Zone  
सर्वे कॉलोनी, विजय नगर  
Survey Colony, Vijay Nagar,  
जबलपुर-482002 (म.प्र.)  
Jabalpur - 482002 (MP)

सं. 335 /37-जी-9

दिनांक 27 -03-2023

**मध्य क्षेत्र नेमी आदेश सं. 04 /37-G-9 दिनांक 27-03-2023**

**1. श्रम साध्य/सराहनीय कार्य के लिए मानदेय :-**

मध्य क्षेत्र कार्यालय में तैनात निम्नलिखित कार्मिकों को वर्ष 2022 के दौरान विशेष रूप से श्रम साध्य/सराहनीय कार्य के निष्पादन के सम्मान में एफ.आर.46(बी) के अधीन प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाया गया मानदेय कुल योग रु.10,000 /- (रुपये दस हजार मात्र) प्रदान किया जाता है।

.Sl. No	Name of Employees & Designation Shri/Smt./Km.	Amount of Honorarium (रुपये)
1.	दिपंकर सेन, अधिकारी सर्वेक्षक	2,500
2.	अरविन्द सिंह, सहायक	2,500
3.	हितेश छापोला, प्रवर श्रेणी लिपिक	2,500
4.	यज्ञसेन पटेल, एम.टी.एस.	2,500
<b>Total Rs.</b>		<b>10,000</b>

2. प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक मामले में जिसमें मानदेय की संस्वीकृति प्रदान की गई है, एफ.आर.46(बी) में निहित तथ्यों को पूर्ण कर लिया गया है।

3. मानदेय प्रदान करते समय एफ.आर.11 के उपबंधों को ध्यान में रखा गया है।

4. इस मद में होने वाला व्यय मध्य प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केंद्र के वर्ष 2022-23 के लिये स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जायेगा तथा उपयुक्त लेखा शीर्ष के नामे डाला जायेगा।

[प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय ज्ञापन सं.स्था.1-1584/1316 (2022-2023) दिनांक 27.03.2023.]

(आर.के.निगम)

अपर महासर्वेक्षक  
मध्य क्षेत्र (अति. प्रभार)

वितरण:-

01 भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून।

02 अपर महासर्वेक्षक: पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता/उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, शिलांग/उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र, चण्डीगढ़/पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर/उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ/दक्षिण-मध्य क्षेत्र, हैदराबाद/दक्षिणी क्षेत्र, बंगलोर/विशिष्ट सेवायें क्षेत्र, देहरादून/ भारतीय सर्वेक्षण प्रशिक्षण एवं मानचित्रण संस्थान, हैदराबाद।

03 निदेशक: महाराष्ट्र एवं गोवा जी.डी.सी., पुणे/छत्तीसगढ़ जी.डी.सी., रायपुर/भौगोलिक सूचना पद्धति एवं सुदूर संवेदन निदेशालय, हैदराबाद/राष्ट्रीय जी.डी.सी., देहरादून/व्यवसाय एवं प्रचार निदेशालय, देहरादून/डी.एस.एस.डी.आई., दिल्ली/राजस्थान जी.डी.सी., जयपुर/पंजाब एवं चण्डीगढ़ जी.डी.सी., चंडीगढ़/हिमाचल प्रदेश जी.डी.सी., चंडीगढ़/हरियाणा जी.डी.सी., चंडीगढ़/जम्मू एवं कश्मीर जी.डी.सी., जम्मू/ पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जी.डी.सी., कोलकाता/झारखण्ड जी.डी.सी., राची/उड़ीसा जी.डी.सी., भुवनेश्वर/उत्तराखण्ड जी.डी.सी., देहरादून/मेघालय व अरुणाचल प्रदेश जी.डी.सी., शिलांग/असम व नागालैण्ड जी.डी.सी., गुवाहाटी/ त्रिपुरा व मणिपुर जी.डी.सी., सिलचर/गुजरात, दमन व दीव जी.डी.सी./ उत्तर प्रदेश जी.डी.सी., लखनऊ/बिहार जी.डी.सी., पटना/आंध्र प्रदेश जी.डी.सी., हैदराबाद/कर्नाटक जी.डी.सी., बंगलौर/तमिलनाडु, पाण्डिचेरी एवं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जी.डी.सी. चैन्नई/केरल व लक्षद्वीप जी.डी.सी., तिरुअनंतपुरम/सर्वेक्षण (हवाई) व दिल्ली जी.डी.सी., नई दिल्ली/उत्तरी मुद्रण वर्ग, देहरादून/दक्षिणी मुद्रण वर्ग, हैदराबाद/पूर्वी मुद्रण वर्ग, कोलकाता/ पश्चिमी मुद्रण वर्ग, दिल्ली।

04 निदेशक, मध्य प्रदेश जी.डी.सी. को सूचनार्थ प्रेषित।

05 क्षेत्रीय वेतन एवं लेखाधिकारी, कोलकाता।

06 स्थापना एवं लेखाधिकारी (दो प्रतियाँ)।